

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: ds.tad@rajasthan.gov.in, Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 6 / लेखा / सीटीएडी / बी.एफ.सी / 2018-19

जयपुर, दिनांक 17-12-2018

प्रतिष्ठा में

स्वीकृति सं० 36/2018-19

आयुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर।

विषय - वित्तीय वर्ष 2017-18 बी.एफ.सी. में Other than Schemes के लेखाशीर्ष स्कीम्स में हस्तान्तरित कर दिये जाने से सम्बन्धित लेखाशीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोन, मोबाइल, वाहन एवं कम्प्यूटर/प्रिन्टर्स आदि को परिवर्तित लेखाशीर्ष अन्तर्गत हस्तान्तरित किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रसंग- आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.6 / लेखा / सीटीएडी / बी.एफ.सी. / 2018-19 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

1.स्वीकृति- वित्तीय वर्ष 2017-18 बी.एफ.सी. में Other than Schemes के लेखाशीर्ष स्कीम्स में हस्तान्तरित कर दिये जाने से सम्बन्धित लेखाशीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोन, मोबाइल, वाहन एवं कम्प्यूटर/प्रिन्टर्स आदि को परिवर्तित लेखाशीर्ष अन्तर्गत हस्तान्तरित किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष - 2018-19

3. बजट मद- माँग संख्या -30

क्रम सं.	पूर्व बजट शीर्ष	नवीन बजट शीर्ष	कम्प्यूटर	प्रिन्टर
1	2202-01-796--(08)--[01]	2202-01-796--(08)--[02]	403	181
2	2225-02-796--(12)--[00]	2225-02-796--(17)--[03]	42	21
			445	202


नोट:- यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.6 / लेखा / सीटीएडी / बी.एफ.सी. / 2018-19 पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर उन्ही की पत्रावली पर जारी की जा रही है। स्वीकृति जारी करने के उपरान्त मूल पत्रावली आयुक्त कार्यालय को भिजवाई जा रही है।

4. संलग्न- निल।

5. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-11) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 161801278 दिनांक 28.11.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय,


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक-मंत्री, टीएडी / निजी सचिव-अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट / लेखे)।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-11)
5. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग
6. अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना / माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
9. एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
10. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।
7. आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

स्वीकृति सं० 36/2018-19 दिनांक 17-12-2018